

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश

चतुर्थ तल विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ-226001

संख्या:-470/सी0ई0ओ0-1
सेवा में,

लखनऊ दिनांक 17 फरवरी, 2016

प्रमुख सचिव,
गृह विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

विषय:-उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 35 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों का द्विवार्षिक निर्वाचन-पुलिस अधिकारियों के स्थानान्तरण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर कृपया भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त पत्र संख्या-322/यूपी-एलसी/2016-बीई दिनांक-17.02.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को संबोधित तथा इस कार्यालय को पृष्ठांकित है।

2- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त पत्र के माध्यम से पुलिस अधिकारियों के स्थानान्तरण के संबंध में निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उक्त पत्र में आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार से दिनांक-08.02.2016 से अब तक पुलिस कार्मिकों के किये गये स्थानान्तरण के संबंध में आख्या प्राप्त कर आयोग को समीक्षा हेतु सूचित किये जाने के निर्देश भी दिये गये हैं।

अतः भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त उक्त पत्र को संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि कृपया आयोग की अपेक्षानुसार प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने के साथ ही दिनांक-08.02.2016 से अब तक किये गये पुलिस कार्मिकों के स्थानान्तरण की सूची सहित आख्या इस कार्यालय को दिनांक-18.02.2016 को अपराह्न 03:00 बजे तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(अरुण सिंघल)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

संख्या:-470(1)/सी0ई0ओ0-1-तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक मार्ग, नई दिल्ली।

(अरुण सिंघल)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

No. 322/UP-LC/2016-BE

Dated: 17th February, 2016

To

The Chief Secretary to the Govt. of Uttar Pradesh
Lucknow


Subject:- Biennial elections to the UP Legislative Council from Local Authorities Constituencies- transfer of police officers- reg.

Sir,

I am directed to state that the Commission is receiving complaints written and otherwise alleging that the State Govt. is transferring senior police officers like Superintendents of Police of Districts upto the level of Sub-Inspector without taking Commission's prior written permission. The issue has been considered by the Commission. As the police officers of the Districts are directly in charge of the Law and Order situation in the Districts and also responsible for the security and safety of electors, election materials and election personnel transfer of police officers during the election period will adversely affect the arrangements for free and fair election. The Commission has therefore directed that no police officer of any District as mentioned above in the State shall be transferred during the current election period without the Commission's prior written concurrence.

This may be brought to the notice of all concerned for compliance.

Yours faithfully,



(K. AJAYA KUMAR)
SR. PRINCIPAL SECRETARY